भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1670
उत्तर देने की तारीख 05.12.2024

'एस्पायर' योजना के अंतर्गत लाभार्थी

1670. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री संजय दीना पाटिल:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री अमर शरदराव काले:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन एवं नवप्रवर्तन योजना (एएसपीआईआरई) के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) एस्पायर योजना के अंतर्गत इसकी शुरूआत से अब तक कितने ग्रामीण उद्यमियों और उद्यमों को सहायता दी गई है;

(ग) एस्पायर योजना किस प्रकार विशेषकर ग्रामीण एवं अविकसित क्षेत्रों में सरकार के रोजगार सृजन के लक्ष्य में योगदान देती है;

(घ) महाराष्ट्र में चालू वित्त वर्ष के लिए एस्पायर योजना के अंतर्गत लक्षित लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि एस्पायर योजना के अंतर्गत महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को विशेष रूप से लक्षित किया जाए;

(च) एस्पायर योजना की प्रगति और सफलता पर नजर रखने के लिए मौजूद निगरानी और मूल्यांकन तंत्र क्या है तथा इस प्रगति को कैसे मापा जाता है;

(छ) ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के बीच एस्पायर योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) एस्पायर योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है तथा योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता के प्रकारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): 'नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)' का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों को विभिन्न कौशल विकास और इनक्यूबेशन कार्यक्रम प्रदान करने के लिए आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) का एक नेटवर्क स्थापित करके कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना है। एलबीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य लाभार्थियों को अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करने अथवा समीप के उद्योगों में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।

(ख से ङ) एवं (छ): इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देकर तथा आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम सृजन को समर्थन देकर उद्यमशीलता और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

शुरुआत से अब तक, एस्पायर के अंतर्गत 1,07,460 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 31,521 लाभार्थियों को लाभकारी रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, 662 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता दी गई है। एस्पायर के अंतर्गत कोई राज्य-विशिष्ट लक्ष्य नहीं हैं, तथापि, अब तक महाराष्ट्र में 9,384 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

स्कीम के अंतर्गत प्रचालनात्मक व्यय एलबीआई को ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल करने में सक्षम बनाता है। एलबीआई भावी प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए विभिन्न सहायता सेवाओं के माध्यम से पथ-प्रदर्शन सहायता के साथ-साथ व्यापक प्रशिक्षण और इनक्यूबेशन कार्यक्रम प्रदान करता है।

(च): निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के एक भाग के रूप में तथा परिणामों पर नजर बनाए रखने के लिए, एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या, वेतनभोगी रोजगार प्राप्त लाभार्थियों तथा समर्थित/स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या के संबंध में ऑनलाइन मासिक आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

(ज): एस्पायर को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 194.87 करोड़ रुपये है। संयंत्र और मशीनरी की खरीद (निजी संस्थानों को 25% स्वयं का योगदान देना होगा) के लिए एक करोड़ रुपये तक और प्रचालनात्मक व्यय की पूर्ति करने के लिए एक करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।

*****